उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–2828–औसं / 2021–19(125)–ए0एस0 / 01 दिनांक 25 सितम्बर, 2021

विषयः– त्रुटिपूर्ण विद्युत अधिष्ठापन के कारण हुई विद्युतीय दुर्घटना में बाहरी व्यक्ति की मृत्यु अथवा अपंगता / पशुओं की मृत्यु / फसल अग्निकाण्ड तथा सम्पत्ति के नुकसान के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 169वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी डिस्काम के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के फलस्वरूप घटित दुर्घटनाओं में किसी बाहरी व्यक्ति की मृत्यु अथवा अपंगता / पशुओं की मृत्यु / फसल अग्निकाण्ड तथा सम्पत्ति के नुकसान होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति अथवा उसके वैधानिक वारिस को निर्धारित समय–सीमा में क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने एवं निस्तारण के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश संख्या–1890–ई0ए0 / रा0वि0प0 / औ0सं0–18 / 92–8 / विविध / 92 दिनांक 26.09.1992, आदेश संख्या– 4570–औ0सं0–17 / पाकालि / 2004 दिनांक 25.09.2004, आदेश संख्या–3286–औ0सं0 / 2011 दिनांक 19.10.2011, आदेश संख्या–4095–औ0सं0 / 2016 दिनांक 13.10.2016, आदेश संख्या–1816–औ0सं0 / 2017 दिनांक 10.04.2017, आदेश संख्या–4004–औ0सं0 / 2018 दिनांक 06.10.2018 सपठित आदेश संख्या–402–औ0सं0 / 2019 दिनांक 21.02.2019 को अवक्रमित करते हुए क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के सरलीकरण व त्वरित निस्तारण हेतु एकल व्यवस्था एतद्द्वारा निम्नवत् प्रतिपादित की जाती है:–

विद्युत दुर्घटना की स्थिति में जाँच प्रक्रिया :–

1. **त्रुटिपूर्ण विद्युत अधिष्ठापन के कारण हुई विद्युतीय दुर्घटना में बाहरी व्यक्ति की मृत्यु अथवा अपंगता / पशुओं की मृत्यु / फसल अग्निकाण्ड तथा सम्पत्ति के नुकसान के प्रकरणों के सम्बन्ध में।**

- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के प्राविधानों के अनुसार सुरक्षित विद्युत आपूर्ति में विफलता के कारण किसी जनहानि / पशुहानि / फसल अथवा सम्पत्ति के नुकसान की सूचना प्राप्त होने पर, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी / सहायक अभियन्ता 24 घण्टे के अन्दर विद्युत सुरक्षा निदेशालय को सूचित करेगा एवं 02 दिवस के अन्दर विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र सं0–44(ए) पर सहायक निदेशक / उप निदेशक / निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय को सूचित करेंगे तथा साथ में विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा संचालित बेवसाइट **Vidyutsuraksha.org** पर घटना का विवरण अपलोड भी करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्युत दुर्घटना की सूचना जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन एवं निकटतम चिकित्सालय को देगें तथा कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों को भी संज्ञानित करायेंगे।
- विद्युत दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर सहायक निदेशक / उप निदेशक / निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा स्थलीय जाँच 18 दिनों में (विद्युत अग्निकाण्ड के कारण फसलों एवं सम्पत्ति की क्षति के प्रकरण में 02 दिवस में) पूर्ण कर जाँच आख्या अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध करायेंगे।
- कतिपय कारणों से यदि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफ०आई०आर० रिपोर्ट आदि अभिलेखों की अनुपलब्धता होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति (अनुग्रह राशि) के भुगतान में उत्पन्न हुई समस्याओं पर जाँच

कमेटी बनाकर व जिलाधिकारी के समक्ष तथ्यों को लाकर प्रकरण का नियमानुसार विधिवत् स्पष्ट रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अधीन विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.01.1992 से 06.10.2018 के मध्य घटित विद्युत दुर्घटनाओं के लम्बित प्रकरणों में बाहरी व्यक्तियों के एवं पशुओं की मृत्यु/घायल होने पर क्षतिपूर्ति पूर्ववत् सम्बन्धित आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य की जायेगी।
- विद्युतीय दुर्घटना के कारण उत्पन्न हुई विपरीत प्रशासनिक स्थिति (सड़क जाम/उग्र प्रदर्शन आदि) के कारण यदि तत्काल अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो, ऐसी स्थिति में क्षेत्र के जिलाधिकारी क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी होंगे ।

2. **क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली अनुग्रह राशि की प्रक्रिया का विवरण :–**

बाहरी व्यक्ति की विद्युत दुर्घटना में हुई मृत्यु/अपंगता की दशा में

कारपोरेशन के त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के कारण हुई बाहरी व्यक्ति की विद्युत दुर्घटना से प्रभावित बाहरी व्यक्ति/वारिस को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिये जाने हेतु निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

- त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के कारण विद्युत दुर्घटना में बाहरी व्यक्ति की मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति के रुप में रू0 5.00 लाख, अनुग्रह राशि देय है। उ0प्र0 शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार मृतक की आयु के सापेक्ष यदि किसी व्यक्ति की गणना के अनुसार क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 5.00 लाख से कम होने पर सम्बन्धित मृतक के आश्रितों को न्यूनतम रू0 5.00 लाख की क्षतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।
- विद्युत दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी/पूर्ण अपंगता/आंशिक अपंगता होने पर, क्षतिपूर्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की विवाहित/अविवाहित स्थिति, आयु एवं परिवार की संख्या के आधार पर समिति की रिपोर्ट **(तालिका–1 एवं 2)** में दी गई सारणियों के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा।
- सक्षम अधिकारी द्वारा घातक/अघातक विद्युत दुर्घटनाओं में कारपोरेशन के अधिष्ठापन की त्रुटि न होने की स्थिति में No fault liability के रूप में अनुग्रह धनराशि की क्षतिपूर्ति स्वीकृत की जायेगी।
- बाहरी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, क्षतिपूर्ति के रूप में अनुग्रह राशि स्वीकृति करने हेतु, अधीक्षण अभियन्ता सक्षम अधिकारी होंगे।
- अनुग्रह धनराशि/क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–
  - ➢ सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निदेशक, विद्युत सुरक्षा से विद्युत दुर्घटना से सम्बन्धित जांच आख्या प्राप्त होने पर पीड़ित परिवार के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/अभिलेखों को संकलित करेंगे।
  - ➢ विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर बाहरी व्यक्ति के परिवारजनों से प्राप्त आवेदन के अनुसार, उत्तराधिकारी की सूचना, मण्डल कार्यालय सहित सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय में चस्पा करेंगे, जिसमें आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 07 दिनों का समय दिया जायेगा।
  - ➢ आपत्ति प्राप्त करने की समयावधि समाप्त होने पर, 07 दिन के अन्दर उत्तराधिकारी से उनका आधार कार्ड/चुनाव पहचान–पत्र (वोटर आई0 डी0)/पैनकार्ड/राशनकार्ड/ पासपोर्ट/लेखपाल अथवा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त कुटुम्ब रजिस्टर के आधार पर पीड़ित परिवार के उत्तराधिकारी का निर्धारण विधिक मापदण्डों के आधार पर करते हुये प्रकरण में क्षतिपूर्ति स्वीकृति का कारण, आदेश में लिखित रूप से अंकित (Recording reason in writing) करते हुए आदेश निर्गत करेंगे। उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विधिक रूप से

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाये।

- ➢ क्षतिपूर्ति के रुप में अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले को अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उनके द्वारा उक्त धनराशि विभाग को वापस की जायेगी और अगर तथ्य गलत पाये गये तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- ➢ किसी बाहरी व्यक्ति की विद्युतीय दुर्घटना में मृत्यु की दशा में, क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी अनुग्रह राशि के अतिरिक्त, मृतक आश्रित के अधीन किसी भी प्रकार का सेवायोजन अथवा कोई अन्य अनुतोष अनुमन्य नहीं होंगे।

3. **<u>बाहरी व्यक्ति की विद्युत दुर्घटना में घायल होने की दशा में।</u>**

- बाहरी व्यक्ति की विद्युत दुर्घटना में घायल होने की दशा में, क्षतिपूर्ति के रूप में अनुग्रह राशि स्वीकृति करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता सक्षम अधिकारी होंगे।
- अघातक विद्युत दुर्घटना में किसी व्यक्ति के आंशिक/पूर्ण अपंगता होने पर तालिका–1 में दिये गये विकलांगता प्रतिशत के आधार पर क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि का आंकलन किया जायेगा।
- विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र, एफ0आई0आर0 की प्रति एवं विभागीय जांच में प्राप्त संस्तुति के आधार पर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- क्षतिपूर्ति के रुप में अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले को शपथ–पत्र देना होगा कि यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उनके द्वारा उक्त धनराशि विभाग को वापस की जायेगी और अगर तथ्य गलत पाये गये तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4. **<u>विद्युत दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने की दशा में।</u>**

- पशु की मृत्यु की दशा में, क्षतिपूर्ति के रूप में अनुग्रह राशि स्वीकृति करने हेतु, अधीक्षण अभियन्ता सक्षम अधिकारी होंगे।
- विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या, पशु की क्रय रसीद, सक्षम पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ0आई0आर0 की प्रति, विभागीय जांच में प्राप्त संस्तुति के आधार पर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- क्षतिपूर्ति के रुप में अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले को शपथ–पत्र देना होगा कि यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उनके द्वारा उक्त धनराशि विभाग को वापस की जायेगी और अगर तथ्य गलत पाये गये तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

5. **<u>विद्युतीय अग्निकाण्ड में फसलों/सम्पत्तियों की हुई क्षति के सम्बन्ध में।</u>**

- विद्युतीय अग्निकाण्ड में फसलों/सम्पत्तियों की हुई क्षति के रूप में अनुग्रह राशि स्वीकृति करने हेतु, मुख्य अभियन्ता (वितरण) सक्षम अधिकारी होंगे।
- विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित पीड़ित परिवार के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में भू–स्वामी होने के अभिलेखों का मालिकाना हक एवं खतौनी/लेखपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/अभिलेखों को संलग्न किया जायेगा।
- सम्बन्धित जिले के तहसीलदार एवं जिलाधिकारी के द्वारा क्षति का आंकलन एवं संस्तुति तथा निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का भुगतान खण्ड स्तर पर किया जायेगा।
- विद्युत दुर्घटना में बाहरी व्यक्तियों/पशुओं के प्रकरणों के निस्तारण में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जाँच आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दिया जाये तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया 30 दिनों में पूर्ण कर ली जाये। इसके अतिरिक्त फसल/ सम्पत्तियों की हुई क्षति के

फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के प्रकरणों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय की संस्तुति व जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने के आधार पर 07 कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृत एवं निस्तारित किया जाये।

- मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत दुर्घटनाओं के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का मासिक आधार पर अनुश्रवण करेंगे एवं भुगतान से सम्बन्धित समस्त सूचनायें क्षेत्रीय कार्यालय में संरक्षित रखेंगे एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु किये गये प्रयासों की मासिक रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम को भेजेंगे।
- सम्बन्धित डिस्काम/क्षेत्र/मण्डल/खण्ड का दायित्व होगा कि वे अपने कार्यालय में विद्युत दुर्घटनाओं के प्रकरणों की सूची बनाकर सुरक्षित रखेंगे एवं त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन को ठीक किये जाने हेतु किये गये प्रयासों को भी लिपिबद्ध करेंगे।

GUIDE LINES FOR COMPENSATION ON ELECTROCUTION

FAULT LIABILITY

A-Fatal Accident

1. Notional Income (N.I.) of victim shall be taken in to consideration as Rs. 51,000 (Fifty One Thousand) per annum (about Rs. 140 per day)
2. Multiplier shall be adopted as per following chart-

Age of Victim	Multiplier Applied (M.A.)
Up to 15 years	15
Above 15 years but not exceeding 20 years	16
Above 20 years but not exceeding 25 years	17
Above 25 years but not exceeding 30 years	18
Above 30 years but not exceeding 35 years	17
Above 35 years but not exceeding 40 years	16
Above 40 years but not exceeding 45 years	15
Above 45 years but not exceeding 50 years	13
Above 50 years but not exceeding 55 years	11
Above 55 years but not exceeding 60 years	08
Above 60 years but not exceeding 65 years	06
Above 65 years	05

3. The amount of compensation so arrived at in the case of fatal accident claims shall be deducted towards Personal and living Expenses (P.E.) by
   - (i) 1/2nd if deceased was unmarried but if family of a bachelor is large and dependent on the income of the deceased, the deduction shall be 1/3rd (33.33%)
   - (ii) 1/3rd if deceased was married where dependent family members are 2 to 3 in number. 1/4th where dependent family members 4 to 6 in number and 1/5th where dependent family members are more than 6 in number.
   - (iii) For the purpose of calculation of number of family members in clause (ii), a minor dependent will be counted as half.
     Spouse, parents and grand-parents having no income and minor children shall be deemed dependent family members. (Parivar Register and affidavit may be considered as proof of family members and dependency).
4. The following General Damages shall also be payable in addition to Compensation Outlined (C.O.) above;
   - (i) Compensation for Loss of Estate (L.E.) Rs. 5,000 (Five Thousand)
   - (ii) Compensation for Loss of Consortium (L.C.), if beneficiary is spouse Rs. 5,000 (Five Thousand).
   - (iii) Compensation for Loss of love and Affection (L.A.) Rs. 5,000 (Five Thousand).
   - (iv) Funeral Expenses costs of transportation of body (F.E.) Rs. 5,000 (Five Thousand) or actual expenses whichever is less.
   - (v) Medical Expenses (M.E.) Actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000 (Twenty Thousand).
     Formula: N.I. * M.A.=C.O.

C.O. / P.E. = Amount

C.O.-Amount+L.E.+L.C.+L.A.+F.E.+M.E.=Total Compensation.

Example for spot death of a person aged 14 years leaving behind mother and father:

Rs. 51000*15(Multiplier)	= Rs. 765000
Rs. 765000/3	= Rs. 255000
Rs.765000- Rs.255000+5000+5000+5000	= Rs. 525000

B- Non-Fatal

General Damages in case of Injuries and Disabilities:

(i) Pain and Suffering

(ii) Grievous injuries (G.I.) - Rs. 10,000/-

(iii) Simple injuries (S.I.) - Rs. 5,000/-

(iv) Medical Expenses (M.E.):- Actual expenses incurred, supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000 for grievous injury and Rs. 10,000 for simple injury (on medical report)

Disability in non-fatal accidents:

The following compensation shall be payable in cases of disabilities to the victim arising out of non-fatal accidents:

C- Temporary Disability

Loss of income, if any, for actual period of disablement not exceeding fifty-two weeks.

D- Permanent Disability

(a) In case of permanent total disablement, the amount payable shall be arrived at by multiplying the annual loss of income by the Multiplier applicable to the age on the date of determining the compensation, or

(b) In case of permanent partial disablement such percentage of compensation. which would have been payable in the case of permanent total disablement as specified under item (a) above.

Injuries deemed to result in Permanent Total Disablement/Permanent Partial Disablement and percentage of loss of earning capacity shall be as per Schedule I under Workmen's Compensation Act. 1923. Disability Certificate from Medical Board mentioning percentage of disablement shall be final and shall be taken into consideration.

Notional Income of victim shall be taken into consideration as Rs. 51,000 (Fifty One Thousand) per annum.

Example for 100% permanent disability of person aged 14 years with medical bills for amount Rs. 20,000 (Twenty Thousand):

51000*15	=	Rs.765000
765000*100/100	=	Rs.765000
765000+10000+20000	=	Rs.795000

No Fault Liability

1. In death - Rs. 1,00,000(One Lac)
2. In permanent disability - Rs. 1,25,000 (One Lac and Twenty-Five Thousand)
3. Grievous injury - Rs. 3000 (Three Thousand)
4. Simple injury - Rs. 2000 (Two Thousand)

No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities, like theft of electricity or riots etc. Third party insurance system may also be introduced to meet out compensation.

6. **विद्युत दुर्घटना में पशुओं की मृत्यु/घायल होने पर वर्तमान में प्रभावी क्षतिपूर्ति अनुग्रह राशि :–**

दुधारू पशु

- भैंस, गाय, ऊँट, याक आदि की मृत्यु होने पर रू0 30,000/–(तीस हजार) अनुमन्य किया जायेगा।
- भेड़, बकरी, सुअर आदि की मृत्यु होने पर रू0 3,000/–(तीन हजार) अनुमन्य किया जायेगा।

दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु

- ऊँट, घोड़ा, बैल आदि की मृत्यु होने पर रू0 25,000/–(पच्चीस हजार) अनुमन्य किया जायेगा।
- बछड़ा, गधा, खच्चर आदि की मृत्यु होने पर रू0 16,000/–(सोलह हजार) अनुमन्य किया जायेगा।

7. **अनुशासनात्मक एवं वसूली की कार्यवाहीः–**

विद्युत दुर्घटना के लिए दोषी कार्मिक/कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक के स्तर से एक माह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्र0सं0	विवरण	मुख्य दायित्व	पर्यवेक्षणीय दायित्व	प्रशासकीय दायित्व
1	एल0टी0लाइन	लाइनमैन/अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)
2	11/0.4 परिवर्तक या इससे अधिक एवं 11 के0वी0 लाइनें	लाइनमैन/अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)
3	33 के0वी0 उपकेन्द्र	टी0जी0–2 (एस0एस0ओ0)/अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अनुरक्षण–अधिशासी अभियन्ता (वि0), परीक्षण–अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता–मीटर
4	33 के0वी0 लाइन	अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता (वि0)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)

8. **प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक अभिलेख :–**

क्रसं	विद्युत दुर्घटना का प्रकार	पीड़ित पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख
1	बाहरी व्यक्तियों के विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में	1. विद्युत सुरक्षा की जांच आख्या 2. मृत्यु प्रमाणपत्र 3. सक्षम अधिकारी द्वारा वारिसान प्रमाणपत्र 4. पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5. एफ0आई0आर0 की प्रति 6. विभागीय जांच
2	बाहरी व्यक्तियों के विद्युत दुर्घटना में घायल होने की दशा में।	1. विद्युत सुरक्षा की जांच आख्या 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाणपत्र 3. एफ0आई0आर0 की प्रति 4. विभागीय जांच
3	विद्युत दुर्घटना में पशुओं की मृत्यु होने की दशा में।	1. विद्युत सुरक्षा की जांच आख्या 2. पशु की क्रय रसीद 3. पशु की मृत्यु में सक्षम पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र 4. पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5. एफ0आई0आर0 की प्रति 6. विभागीय जांच
4	फसल के नुकसान होने की दशा में।	1. विद्युत सुरक्षा की जांच आख्या 2. फसल के नुकसान में फसल मालिक के नाम खेत होने के सम्बन्ध में खतौनी होने के सम्बन्ध में प्रधान द्वारा सत्यापित विवरण पत्र 3. जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा फसल के आंकलन एवं क्षतिपूर्ति की संस्तुति 4. एफ0आई0आर0 की प्रति 5. विभागीय जांच

5	सम्पत्ति के नुकसान होने की दशा में।	1. विद्युत सुरक्षा की जांच आख्या 2. सम्पत्ति के नुकसान में सम्पत्ति मालिक के नाम होने के सम्बन्ध में सत्यापित विवरण पत्र। 3. जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा सम्पत्ति के आंकलन एवं क्षतिपूर्ति की संस्तुति 4. एफ0आई0आर0 की प्रति 5. विभागीय जांच

कारपोरेशन मुख्यालय को डिस्काम के माध्यम से धनराशि अवमुक्त हेतु प्रत्येक माह माँग पत्र निम्न सूचना के साथ प्रेषित किया जाये :-

1. विद्युत दुर्घटना की प्रकरणवार आख्या/त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन के दूर किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही।
2. पीड़ित व्यक्ति/परिवार को विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप प्रदान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण।
3. विद्युत दुर्घटना के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक एवं वसूली की कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराया जाये।
4. विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त आख्या में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कारपोरेशन के नियमानुसार जाँच कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिकों को अपने बचाव का पूरा अवसर देते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ऐसे प्रकरण जिनमें दुर्घटना की तिथि प्रश्नगत आदेश के निर्गमन की तिथि के पूर्व की है, में तत्कालीन विद्यमान नियमों/आदेशों के अनुसार ही क्षतिपूर्ति का निर्धारिण किया जायेगा साथ ही किसी भी दशा में कोई पुराना प्रकरण पुनर्रूद्घाटित नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त समस्त व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण नि0 लि0, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं केस्कों कानपुर।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
15. कट फाइल।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

तालिका–1

(अ) बाहरी व्यक्ति की विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुमन्य क्षतिपूर्ति की सारणीः–

AGE OF VICTIM	MULTIPLIER	Compensation in case of death on basis of fault in Rupees				
		Unmarried deceased	If family of bachelor deceased is large and dependent on the income of deceased	Married deceased and dependent family members are 2 to 3	Married deceased and dependent family member are 4 to 6	Married deceased and dependent family member are more than 6
		2	3	3	4	5
Up to 15 years	15	397500	525000	525000	588750	627000
Above 15 years but not exceeding 20 years	16	423000	559000	559000	627000	667800
Above 20 years but not exceeding 25 years	17	448500	593000	593000	665250	708600
Above 25 years but not exceeding 30 years	18	474000	627000	627000	703500	749400
Above 30 years but not exceeding 35 years	17	448500	593000	593000	665250	708600
Above 35 years but not exceeding 40 years	16	423000	559000	559000	627000	667800
Above 40 years but not exceeding 45 years	15	397500	525000	525000	588750	627000
Above 45 years but not exceeding 50 years	13	346500	457000	457000	512250	545400
Above 50 years but not exceeding 55 years	11	295500	389000	389000	435750	463800
Above 55 years but not exceeding 60 years	8	219000	287000	287000	321000	341400
Above 60 years but not exceeding 65 years	6	168000	219000	219000	244500	259800
Above 65 years	5	142500	185000	185000	206250	219000

- Notional Income= 51000
- L.E.+L.A.+F.E.=15000
- Rs. 5000 shall be added in the above, if spouse is alive.
- Medical expenses shall be added in the above according to actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000
- Compensation in case of death on basis of no fault Rs. 1,00,000/-
- No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity of riots etc.

(ब) बाहरी व्यक्ति की विद्युत दुर्घटना में अपंगता होने पर अनुमन्य क्षतिपूर्ति की सारणी :–

Compensation in case of permanent disability on basis of fault

AGE OF VICTIM	MULTI PLIER	Percentage of disability																						
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	20%	30%	31%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Upto 15 years	15	17650	25300	32950	40600	48250	55900	63550	71200	78850	86500	94150	101800	117100	163000	239500	247150	316000	392500	469000	545500	622000	698500	775000
Above 15 years but not exceeding 20 years	16	18160	26320	34480	42640	50800	58960	67120	75280	83440	91600	99760	107920	124240	173200	254800	262960	336400	418000	499600	581200	662800	744400	826000
Above 20 years but not exceeding 25 years	17	18670	27340	36010	44680	53350	62020	70690	79360	88030	96700	105370	114040	131380	183400	270100	278770	356800	443500	530200	616900	703600	790300	877000
Above 25 years but not exceeding 30 years	18	19180	28360	37540	46720	55900	65080	74260	83440	92620	101800	110980	120160	128520	193600	285400	294580	377200	469000	560800	652600	744400	836200	928000
Above 30 years but not exceeding 35 years	17	18670	27340	36010	44680	53350	62020	70690	79360	88030	96700	105370	114040	131380	183400	270100	278770	356800	443500	530200	616900	703600	790300	877000
Above 35 years but not exceeding 40 years	16	18160	26320	34480	42640	50800	58960	67120	75280	83440	91600	99760	107920	124240	173200	254800	262960	336400	418000	499600	581200	662800	744400	826000
Above 40 years but not exceeding 45 years	15	17650	25300	32950	40600	48250	55900	63550	71200	78850	86500	94150	101800	117100	163000	239500	247150	316000	392500	469000	545500	622000	698500	775000
Above 45 years but not exceeding 50 years	13	16630	23260	29890	36520	43150	49780	56410	63040	69670	76300	82930	89560	102820	142600	208900	215530	275200	341500	407800	474100	540400	606700	673000
Above 50 years but not exceeding 55 years	11	15610	21220	26830	32440	38050	43660	49270	54880	60490	66100	71710	77320	88540	122200	178300	183910	234400	290500	346600	402700	458800	514900	571000
Above 55 years but not exceeding 60 years	8	14080	18160	22240	26320	30400	34480	38560	42640	46720	50800	54880	58960	67120	91600	132400	136480	173200	214000	254800	295600	336400	377200	418000
Above 60 years but not exceeding 65 years	6	13060	16120	19180	22240	25300	28360	31420	34480	37540	40600	43660	46720	52840	71200	101800	104860	132400	163000	193600	224200	254800	285400	316000
Above 65 years	5	12550	17650	17650	20200	22750	25300	27850	30400	32950	35500	38050	40600	45700	61000	86500	89050	112000	137500	213600	188500	214000	239500	265000
National Income	51000			Pain and Suffering for Grievous injury						10000														

- Medical expenses shall be added in the above according to actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000
- Temporary disability loss of income, if any, for actual period of disablement not exceeding fifty two weeks.
- Compensation in case of 100% permanent disability on basis of no fault Rs. 1,25,000/- (accordingly compensation may calculated for different percentage of permanent disability)
- Grievous injury Rs. 3000/- and simple injury Rs. 2000/-
- No Compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity or riots etc.
- In deciding percentage of disability certificate of medical board shall be final however scheduled of The Workmen Compensation Act may also be consulted.

प्रारूप

दिनांक ....

डिस्कॉम का नाम–

क्र0सं0	खण्ड का नाम/जोन का नाम	दुर्घटना की तिथि	दुर्घटना का विवरण	विद्युत सुरक्षा निदेशक की संस्तुति का पत्रांक एवं विवरण जिससे कारपोरेशन को दोषी ठहराया गया (छायाप्रति संलग्न कराए)	विभाग द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति/अनुग्रह धनराशि का विवरण	त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन को ठीक करने की तिथि	दोषियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही हेतु जारी आदेश संख्या एवं विवरण	दोषियों से वसूली की कार्यवाही का विवरण, नाम पदनाम, सहित एवं धनराशि की प्राप्ति वसूली का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9